SP3 | RO
27/4/12

संख्याः 207 /XXVI/छः(2)/2009

टे के आदेश
27/4/12
महाप्रबन्धक (सी/राम [illegible] 500[illegible])

DGM-C Pls keep in [illegible] it seems this [illegible] within 6.75% [illegible] check
30/4

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

देहरादून, दिनांकः 24 अप्रैल, 2012

नियोजन अनुभाग–2

विषय– **शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में हुए शासनादेशों के क्रम में गत शासनादेश सं0–33/XXVI/छ/(2)/2009, दिनांक 06 दिसम्बर, 2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिमण्डल के निर्णय/आदेश के क्रम में निम्नवत् कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

i) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को उत्तराखण्ड में शासकीय कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था की सूची से हटाया जाता है।

ii) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) को उत्तराखण्ड राज्य में शासकीय कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था की सूची में शामिल किया जाता है।

iii) चार केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को उत्तराखण्ड राज्य में शासकीय कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था की सूची में कार्य की प्रकृति के अनुसार निम्न प्रकार सूचीबद्ध किया जाता है:–

1. National Building Construction Corporation (NBCC)	–भवन/मार्ग/ज़लापूर्ति/सीवरेज कार्य
2. National Projects Construction Corporation Limited (NPCC)	–भवन/मार्ग/जलापूर्ति/सीवरेज कार्य
3. Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)	–भवन कार्य
4. Bridge & Roof Company India Limited	–भवन/मार्ग/जलापूर्ति/सीवरेज कार्य

iv) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड की तकनीकी क्षमता एवं उपलब्ध कार्य प्रभार तथा निर्माण कार्यों की लागत में हो रही बढोत्तरी को देखते हुए ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को **₹ 5.00 करोड़** लागत तक के निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था बनाया जाता है।

Apr 27 12 11:57a